कार्यालयः प्राचार्य हिमवन्त कवि चन्द्र कुँवर बर्त्वाल
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी, चमोली।

आदेश संख्या 41 / मु0उ0शि0प्रो0छा0यो0 / 2024–25 दिनांकः 02.12.2024

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना का आहरण

निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल के पत्रांक संख्या डिग्री छात्रवृत्ति / 4534 / 2023–2024 दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 एवं शासन के पत्रांक 149416 / xxiv–c–02 / 2023 / 06(02)2023 उच्च शिक्षा अनुभाग–02 दिनांक 25 अगस्त, 2023 के माध्यम से उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना छात्रवृत्ति का भुगतान आहरण की स्वीकृति निम्न विवरणानुसार दी जाती है।

क्र0 सं0	छात्र–छात्रा का नाम	पिता का नाम	अवधि	छात्रवृत्ति प्रतिमाह	कुल माह	योग
1	पार्वती	श्री जगदीश सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	2000	06 माह	12000
2	ऋषभ बर्त्वाल	श्री महावीर सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	1500	06 माह	9000
3	गोल्डी राणा	श्री हीरा सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	3000	06 माह	18000
4	अंशिका	श्री विजय सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	3000	06 माह	18000
5	आँचल	श्री जगमोहन सिंह भण्डारी	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	2000	06 माह	12000
6	रिया असवाल	श्री प्रदीप सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	1500	06 माह	9000
7	रजत जमलोकी	श्री कमल किशोर जमलोकी	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	3000	06 माह	18000
8	पवन	श्री देवेन्द्र लाल	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	2000	06 माह	12000
9	मुस्कान	श्री लक्ष्मण सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	1500	06 माह	9000
10	विभूति नेगी	श्री विजय सिंह नेगी	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	3000	06 माह	18000
11	अंशिका	श्री ऋषि प्रसाद	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	2000	06 माह	12000
12	कंचन	श्री चण्डी प्रसाद सती	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	1500	06 माह	9000
13	मानसी	श्री कमल सिंह नेगी	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	2000	06 माह	12000
14	निधि	श्री गजेन्द्र सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	5000	06 माह	30000
15	शिवानी	श्री कालिका प्रसाद	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	3000	06 माह	18000
16	कुसुमलता	श्री अवतार सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	2000	06 माह	12000
17	रितु	श्री कुलदीप सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	5000	06 माह	30000
18	अम्बिका	श्री भरत सिंह	01.07.2024 से 31.12.2024 तक	3000	06 माह	18000
			योग			**2,76,000**

(रू0 दो लाख छिहत्तर हजार मात्र)

प्राचार्य
हिमवन्त कवि चन्द्र कुँवर बर्त्वाल
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नागनाथ पोखरी, चमोली।

Principal
Himwant Kavi Chandra Kunwar Bartwal Rajkiya M...

IFMS Uttarakhand

Bill Type : Normal

OP4004457512241017

Signature Not Verified
Digitally signed by: Dr Sanjiv Kumar Juyal
Reason :DDO E-Approval
Location: Pokhari Treasury
Date and Time: 04-12-2024 11:12:39

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देंखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1- जनपद का नाम	चमोली
2- कोषागार का नाम	पोखरी
3- देयक की अवधि कब से.........कब तक	
4- रिकार्ड कोड	1 0 3
5- कोषागार/उपकोषागार का कोड	4 0 0 4
5- देयक पंजी की क्रम संख या	000056

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख य लेखाशीर्षक -	(2202)सामान्य शिक्षा
उप मुख य लेखा शीर्षक -	(03)विश वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
लघुशीर्षक -	(107)छात्रवृत्तियां
उपशीर्षक -	(07)शैक्षिक कार्यक्रमो के अंतर्गत छात्रवृति
ब योरेवार शीर्षक -	(00)-

- वाउचर संख या(कोषागार द्वारा भरा जाना है) वाउचर का दिनांक

- मतदेय/भारित मतदेय

- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक 2 2 0 2 0 3 1 0 7 0 7 0 0 4 5

0- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम प्राचार्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय पोखरी

1- आहरण वितरण अधिकारी का कोड 4 5 7 5

2- अधिष्ठान का नाम प्राचार्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय पोखरी

3- अनुदान संख या 0 1 1 14- सोर्स कोड 1 15- सेक्टर कोड 2

कनेक्टिंग अनुदान संख्या

6- आहरण से जुडे लेखाशीर्षक (कनेक्टिंग सर्विस हेतु) (केवल भविष्य निधि अग्रिम एवं ऋण था अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित भुगतान हेतु भरा जाये)

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
45-छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	724000	345000	379000

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
45-छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	276000
66 सकल धनराशि (आश्रित समायोजन के बाद)	276000

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77 सम्पूर्ण कटौतियां	
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)	276000

क्रम संख या	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि (रु0)	अभ्युक्ति
66- सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के वाद)		276000	
77- सम्पूर्ण कटौतियां			
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)		276000	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवययों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी का हस्ताक्षर

नियंत्रक /प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड करने के प्रकरण में ही लागू होगा)
(हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर)

Print Date : 04-Dec-2024

कोषागार / उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रु0 Rupees Two Lacs Seventy Six Thousand Only भुगतान हेतु पारित किया जाता है |

संक्रमण द्वारा रु० -

सकल धनराशि रु० 2,76,000

कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

S.NO.	Beneficiary	Account Type	IFS Code	Account No.	Gross Amt	Total Ded.	Advance	Net Amount
1	OP4004457502241002 Mr Riya Aswal	Saving	SBIN0RRUTGB	76013992008	9000	0	0	9000
2	OP4004457502241004 Ms Anshika	Saving	PUNB0286000	2860001700033079	12000	0	0	12000
3	OP4004457512241001 Ms Parvati	Saving	SBIN0RRUTGB	76030659702	12000	0	0	12000
4	OP4004457512241002 Mr Rishabh Bartwal	Saving	IBKL070CZSB	002834001100275	9000	0	0	9000
5	OP4004457512241003 Ms Goldi Rana	Saving	PUNB0286000	2860001700040255	18000	0	0	18000
6	OP4004457512241004 Ms Anshika	Saving	SBIN0004532	35924246221	18000	0	0	18000
7	OP4004457512241005 Ms Anchal	Saving	SBIN0004532	42386523451	12000	0	0	12000
8	OP4004457512241006 Mr Rajat Jamloki	Saving	SBIN0RRUTGB	76026367499	18000	0	0	18000
9	OP4004457512241007 Mr Pawan	Saving	SBIN0RRUTGB	76002808636	12000	0	0	12000
10	OP4004457512241008 Ms Muskan	Saving	SBIN0RRUTGB	76018535160	9000	0	0	9000
11	OP4004457512241009 Ms Vibhuti Negi	Saving	IBKL070CZSB	001034007100028	18000	0	0	18000
12	OP4004457512241010 Ms Kanchan	Saving	SBIN0004532	37074982747	9000	0	0	9000
13	OP4004457512241011 Ms Manshi	Saving	SBIN0RRUTGB	76012280230	12000	0	0	12000
14	OP4004457512241012 Ms Nidhi	Saving	SBIN0004532	35761342814	30000	0	0	30000
15	OP4004457512241013 Ms Shivani	Saving	SBIN0004532	39965395913	18000	0	0	18000
16	OP4004457512241014 Ms Kusumlata	Saving	SBIN0004532	39668450260	12000	0	0	12000
17	OP4004457512241015 Ms Ritu	Saving	SBIN0RRUTGB	76015444390	30000	0	0	30000
18	OP4004457512241016 Ms Ambika	Saving	SBIN0004532	39986429359	18000	0	0	18000
					276000	0	0	276000

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नागनाथ पोखरी (चमोली)

Print Date : 04-Dec-2024

प्राचार्य, हिमवन्त कवि चन्द्र कुँवर बर्त्वाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी, चमोली।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना सत्र 2024–25

01.07.2024 से 31.12.2024 तक

छात्रवृत्ति भुगतान हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची एवं भुगतान विवरण

दिनांक : 27/12/2024

क्र0 सं0	छात्र–छात्रा का नाम	पिता का नाम	कक्षा	स्थान	मो0नं0	खाता सं0	IFSC	बैंक का नाम	आधार नम्बर	धनराशि /प्रतिमाह	कुल माह	योग
1	ममता	श्री अशोक जोशी	बी0एस–सी0 पंचम् सेमे0	III	8279691136	76028581987	SBIN0RRUTGB	UGB POKHARI	554509296814	1500	06 माह	9000

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संयोजक – डॉ0 कीर्ति गिल 26/12/24

2. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना सदस्य – श्री विजय कुमार

Principal
Himwant Kavi Chandra
Kunwar Bartwal Rajkiya Mahavidyalaya
Nagnath Pokhari, Chamoli

IFMS Uttarakhand

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr Sanjiv Kumar Juyal
Reason: DDO E-Approval
Location: Pokhari Treasury
Date and Time: 27-12-2024 13:50:38

Bill Type : Normal

OP4004457512241019

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -1
(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1- जनपद का नाम — चमोली

2- कोषागार का नाम — पोखरी

3- देयक की अवधि कब से.........कब तक ....

4- रिकार्ड कोड — 1 0 3

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड — 4 0 0 4

5- देयक पंजी की क्रम संख्या — 000057

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(2202)सामान्य शिक्षा
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(03)विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
लघुशीर्षक -	(107)छात्रवृत्तियां
उपशीर्षक -	(07)शैक्षिक कार्यक्रमो के अंतर्गत छात्रवृत्ति
ब्योरेवार शीर्षक -	(00)-

- वाउचर संख्या(कोषागार द्वारा भरा जाना है) — वाउचर का दिनांक

- मतदेय/भारित — मतदेय

- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक — 2 2 0 2 0 3 1 0 7 0 7 0 0 4 5

10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम — प्राचार्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय पोखरी

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड — 4 5 7 5

12- अधिष्ठान का नाम — प्राचार्य राजकीय स्नातक महाविद्यालय पोखरी

13- अनुदान संख्या — 0 1 1   14- सोर्स कोड 1   15- सेक्टर कोड 2

कनेक्टिंग अनुदान संख्या

16- आहरण से जुडे लेखाशीर्षक (कनेक्टिंग सर्विस हेतु) (केवल भविष्य निधि अग्रिम एवं ऋण तथा अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित भुगतान हेतु भरा जाये)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
45-छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	724000	354000	370000

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
45-छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	9000
66 सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	9000

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77 सम्पूर्ण कटौतियां	
99 शुद्व देय धनराशि (66-77)	9000

ONLY FOR OFFICIAL USE

क्रम संख्या	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि (रु0)	अभ्युक्ति
		9000	
66- सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)			
77- सम्पूर्ण कटौतियां			
99 शुद्व देय धनराशि (66-77)		9000	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Principal
Himwant Kavi Chandra Kunwar Bartwal Rajkiya Mahavidyalaya
Nagnath Pokhari, Chamoli

नियंत्रक /प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टर साइन होने वाले देयकों के प्रकरण में ही लागू होगा)

Principal
Himwant Kavi Chandra Kunwar Bartwal Rajkiya Mahavidyalaya
Nagnath Pokhari, Chamoli

Print Date : 27-Dec-2024

कोषागार / उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रु0 Rupees Nine Thousand Only भुगतान हेतु पारित किया जाता है |

संक्रमण द्वारा रु० -

सकल धनराशि रु० 9,000

कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

S.NO.	Beneficiary	Account Type	IFS Code	Account No.	Gross Amt	Total Ded.	Advance	Net Amount
1	OP4004457512241018 Ms Mamta	Saving	SBIN0RRUTGB	76028581987	9000	0	0	9000
					9000	0	0	9000

Principal
[illegible]want Kavi Chandra
[illegible] Bartwal Rajkiya Mahavidyalay,
Nagnath Pokhari, Chamoli

Print Date : 27-Dec-2024

HIG-2-A/4/1/2023-XXIV-C-2-Higher Education Department

941672023

संख्याः 40416 / XXIV-C-2 / 2023 / 06(02)2023

प्रेषक,

शैलेश बगौली,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,

हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 25 अगस्त, 2023

विषयः उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना" संचालित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् मेधावी छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार **'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना'** संचालित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है–

1. यह योजना "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना" के नाम से जानी जाएगी।
2. इस छात्रवृत्ति हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों / राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रत्येक वर्ष (सत्र) के संस्थागत नियमित छात्र / छात्राएं पात्र होंगे।
3. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत सत्र 2023–24 में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति वितरण के साथ की जाएगी। यह छात्रवृत्ति सामान्यतया दो किश्तों में छात्र–छात्राओं को उपलब्ध करायी जाएगी।
4. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रत्येक महाविद्यालय / राज्य वि0वि0 परिसर के प्रत्येक संकाय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं के 12वीं के परीक्षा परिणाम का परीक्षण किया जाएगा तथा ऐसे छात्र–छात्राओं, जिनके न्यूनतम 80 प्रतिशत प्राप्तांक / समतुल्य ग्रेड हों, में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र / छात्राओं को क्रमशः धनराशि ₹3,000, ₹2,000 व ₹1,500 मासिक छात्रवृत्ति दी जायेगी।
5. प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष–यथा लागू) छात्र–छात्राओं को प्रतिवर्ष महाविद्यालय स्तर / विश्वविद्यालय परिसर स्तर पर पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम में न्यूनतम 60

CamScanner

प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः ₹3,000 (प्रथम स्थान), ₹2,000 (द्वितीय स्थान) तथा ₹1,500 (तृतीय स्थान) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।

6. स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के उपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे छात्र–छात्राओं का चयन किया जायेगा, जिन्होंने अपने महाविद्यालय में संबंधित संकाय में, स्नातक स्तर पर (कुल 04 वर्ष/03 वर्ष के संकलित परिणाम के आधार पर) प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त किया हो, को क्रमशः ₹35,000, ₹25,000 व ₹20,000 एकमुश्त धनराशि प्रदान की जायेगी।

7. 02 वर्षीय पी0जी0 होने की दशा में पी0जी0 के अंतिम वर्ष में, प्रथम वर्ष के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में विषयवार स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः ₹5,000 (प्रथम स्थान), ₹3,000 (द्वितीय स्थान) तथा ₹2,000 (तृतीय स्थान) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।

8. पी0जी0 के अंतिम वर्ष अथवा एकवर्षीय पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रत्येक महाविद्यालय/राज्य वि0वि0 परिसर में संबंधित विषयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र–छात्राओं को, जिन्होंने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, को एकमुश्त धनराशि ₹60,000, ₹35,000 व ₹25,000 दी जायेगी।

9. स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (यथा लागू) वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्र–छात्राओं में से प्रत्येक महाविद्यालय/वि0वि0 के परिसर के प्रत्येक संकाय से 10 प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं, जो न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक लाएंगे तथा जिनकी न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो, को ₹1,500/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उक्त 10 प्रतिशत की सीमा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र/छात्राओं से अलग होगी। यदि 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं 10 प्रतिशत से अधिक होंगे, तो ऐसी दशा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 10 प्रतिशत छात्र/छात्राओं का चयन किया जाएगा।

10. 10 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु तैयार की गई सूची में अन्तिम छात्र के समान प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु अनिवार्य अर्हताएं:–

1. छात्र/छात्रा द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालय अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (स्नातक प्रथम वर्ष हेतु) के परीक्षाओं को छात्रवृत्ति दिए जाने से पूर्व बिना किसी अवरोध के उत्तीर्ण किया गया हो। अंक सुधार परीक्षा के उपरान्त प्राप्त अंकों को इस हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. छात्र/छात्रा की महाविद्यालय में अध्ययनरत् पाठ्यक्रम अथवा विषय में न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति हो।

3. सत्र की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होगी और किसी भी सत्र के उक्त अवधि तक ही छात्रवृत्ति देय होगी। चयनित छात्र/छात्रा को संबंधित सत्र के 12 माह की

CamScanner

गणना (1 जुलाई से 30 जून) के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

4. प्रत्येक सत्र हेतु छात्रवृत्ति की गणना विगत वर्ष के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी तथा उपस्थिति की गणना अध्ययनरत् सत्र में उपस्थिति के आधार पर होगी। उदाहरण के रूप में यदि कोई छात्र सत्र 2023–24 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लेता है तो उसे इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तथा सत्र 2023–24 में उपस्थिति के आधार पर पात्रता तय होगी। इस प्रकार सत्र 2023–24 में बी0ए0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के प्रथम वर्ष के प्राप्तांक के आधार पर उनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी।

5. छात्रवृत्ति की गणना वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। दशमलव अंक में अर्जित प्राप्तांक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा।

6. एक समान प्राप्तांक की दशा में उस संबंधित स्तर पर (प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान पर) समस्त छात्र–छात्राओं को अनुमन्य छात्रवृत्ति ही प्राप्त होगी।

7. उपस्थिति की प्रक्रिया हेतु समय–समय पर शासन एवं निदेशालय के निर्देश मान्य होंगे।

8. छात्रवृत्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि छात्र/छात्रा के विरूद्ध महाविद्यालय द्वारा अथवा किसी विधि संगत संरचना द्वारा कोई अनुशासनात्मक/विधिक कार्यवाही न की गयी हो।

9. छात्र/छात्रा को राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से संस्थागत विद्यार्थी के रूप में प्राप्त किसी अन्य छात्रवृत्ति की दशा में यह चयन करने का अधिकार होगा कि वह कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहता है। कोई भी छात्र–छात्रा एक ही वर्ष में राज्य सरकार से एक से अधिक प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं लेगा।

<u>आवेदन, सूची प्रकटीकरण एवं वितरण:–</u>

1. छात्रवृत्ति हेतु छात्र–छात्राओं को समर्थ पोटल पर अपना पंजीकरण करते हुए आवेदन करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए आवेदन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2. छात्र–छात्राओं द्वारा पंजीकरण के उपरान्त समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई सूचना का संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के समर्थ नोडल एवं प्राचार्य/ कुलसचिव द्वारा प्रमाणीकरण एवं पुष्टि करना अनिवार्य होगा।

3. अध्ययनरत् सत्र हेतु छात्र–छात्राओं को नियत समय के भीतर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. छात्रवृत्ति अनुमन्यता के आधार पर संबंधित पाठ्यक्रम/कोर्स के प्रत्येक वर्ष के लाभार्थी छात्र–छात्राओं की सूची महाविद्यालय द्वारा आधिकारिक वेबसाइट एवं सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

5. संस्थागत छात्र–छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति लिखित रूप में प्राचार्य के समक्ष लाभार्थी छात्र/छात्राओं की सूची आधिकारिक वेबसाईट/सूचना पटल पर प्रदर्शित होने के अधिकतम 07 दिनों के अंदर देना होगा।

6. आपत्ति निस्तारण के पश्चात समर्थ पोर्टल आवेदन हेतु/संशोधन हेतु पुनः खोला

CamScanner

जाएगा।

7. आपत्ति पर विचार करते हुए महाविद्यालय द्वारा पुनः सम्यक परीक्षण/पुष्टि कर अंतिम सूची अग्रसारण प्रमाणपत्र के साथ संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति अनुमन्यता के आधार पर गणना करते हुए, लाभार्थी छात्र–छात्राओं की सूची पूर्ण विवरण सहित मांग/प्रस्ताव निदेशालय को अंतिम तिथि के पश्चात अधिकतम 07 दिनों के अंदर प्रेषित किया जाएगा। निदेशालय द्वारा उक्त प्रस्ताव के आधार पर छात्रवृत्ति वितरण हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

8. छात्रवृत्ति हेतु आपत्ति की सुनवाई प्राचार्य/परिसर निदेशक/कुलसचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में दो अन्य सदस्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के वरिष्ठतम सदस्य होंगे। समिति के निर्णय के विरूद्ध निदेशक, उच्च शिक्षा के समक्ष अपील का अधिकार होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

9. छात्रवृत्ति हेतु अंतिम सूची के प्रकाशन के पश्चात यदि लाभार्थी द्वारा किन्हीं कारणों से छात्रवृत्ति नही ली जाती है तो उसे अगले क्रम में अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

10. छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र–छात्राओं के दिए गए बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा। लाभार्थी छात्र–छात्राओं को प्रमाणपत्र भी वितरित किया जाएगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा 03–वि0वि0 तथा उच्चतर शिक्षा 103–राजकीय कॉलेज एवं संस्थान–25–राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य वि0वि0 परिसरों में अध्ययनरत् छात्रों की छात्रवृत्ति 45–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: I/147413/2023(म0)/XXVII(3)2023, दिनांक: 18 अगस्त, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 25-08-2023 13:34:39

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या:1494116/XXIV-C-2/2023/06(02)2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (ऑडिट),उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।

2–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3–निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

4–आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

CS CamScanner